

## अध्याय 6: अनर्जक परिसंपत्तियां

किसी भी वित्तीय संस्थान में अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) की स्थिति उसकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है और उसका लाभकारिता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त पांच महीने से अधिक के लिए देय हो जाती है तो ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध और हानिवाली परिसम्पत्ति में वर्गीकृत किया जाता था। अवमानक परिसम्पत्तियों में वह परिसम्पत्तियां शामिल हैं जो 16 महीने<sup>50</sup> तक के लिए एनपीए रहती हैं जबकि संदिग्ध परिसम्पत्तियों में वह शामिल हैं जो 16 महीने से अधिक की अवधि के लिए अवमानक परिसम्पत्तियां रही थीं। हानिवाली परिसम्पत्तियों में वह परिसम्पत्तियां आती हैं जहां कम्पनी द्वारा या आन्तरिक या बाहरी लेखापरीक्षक या आरबीआई द्वारा हानि का पता लगाया गया था, किन्तु राशि को पूरी तरह से बड़े खाते में नहीं डाला गया और एक परिसम्पत्ति जो कर्जदार की ओर से धोखाधड़ी के कार्य या चूक के कारण प्रतिभूति के मूल्य में अपक्षरण या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण गैर वसूली के संभावित खतरे द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

### 6.1 आईएफसीआई में एनपीए की स्थिति

31 मार्च 2016 तक पिछले चार वर्षों के लिए ₹ 3544.54 करोड़ के एनपीए (413 मामले) का श्रेणी वार वर्गीकरण नीचे दर्शाया गया है:-

**तालिका -5: एनपीए की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	31 मार्च तक विवरण (संचयी)	2013	2014	2015	2016
1.	ऋणों का वर्गीकरण				
	मानक परिसम्पत्तियां	12852.42	16538.85	22849.06	23610.60
	<b>अनर्जक परिसम्पत्तियां</b>				
(i)	अवमानक परिसम्पत्तियां	1624.40	1735.96	1306.37	2319.61
(ii)	संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियां	288.37	1033.71	1083.51	1114.82
(iii)	हानि परिसम्पत्तियां	1150.13	681.68	227.32	110.11

<sup>50</sup> 2015-16 से 18 महीने के पिछले मानक से संशोधित कर 16 महीने किया गया।

	सकल एनपीए <sup>51</sup> (i+ii+iii)	3062.90	3451.35	2617.20	3544.54
2.	कुल बकाया ऋण	15915.32	19990.2	25466.26	27155.14
3.	सकल एनपीए अनुपात (%)	19.24	17.27	10.28	13.05
4.	वसूला ना गया ब्याज	66113.80	72036.53	87676.77	106752.78
5.	बढ़े खाते डाला गया मूलधन	597.93	1167.91	1832.05	2235.80

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, 31 मार्च 2016 तक कुल एनपीए अनुपात कुल बकाया ऋण का 13.05 प्रतिशत था जो कि उद्योग के अनुपात अर्थात 3 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है जैसा पहले के चार्ट 3 में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2016 तक कुल सकल एनपीए में से, ₹ 2794.58 करोड़ (78 प्रतिशत) की राशि के एनपीए पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न हुए हैं।

एनपीए की अधिक प्रतिशतता ऋण आवेदनों के अनुचित निर्धारण और क्रेडिट मूल्यांकन दर्शाता है। लेखापरीक्षा के अधीन अवधि (2012-13 से 2015-16) के दौरान, अवमानक और संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियों की राशि में ₹ 1521.66 करोड़ तक वृद्धि हुई। हानिवाली परिसम्पत्तियों में ₹ 1040.02 करोड़ की गिरावट मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान ₹ 1637.87 करोड़ बढ़े खाते में डाले गए ऋणों में वृद्धि के कारण थी। यह पाया गया कि एनपीएज के कारण समीक्षा अवधि के दौरान वसूले न गए ब्याज<sup>52</sup> में ₹ 40638.98 करोड़ की वृद्धि हुई। वसूले न गए ब्याज में उपार्जित ब्याज शामिल है जो कि उस तिथि को वापिस ले लिया गया जब से यह परिसम्पत्तियां एनपीए हो गईं तथा साथ में ब्याज जो 31 मार्च 2016 तक इन परिसम्पत्तियों पर अर्जित किया जा सकता था यदि यह मामले एनपीए न होते।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2017) कि एक बार खाता एनपीए होने पर आरबीआई ब्याज की मान्यता पर रोक लगा देती है।

यद्यपि, यह एक तथ्य है कि आरबीआई खाते के एक बार एनपीए होने पर ब्याज की मान्यता पर रोक लगा देती है। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत देखने की आवश्यकता है कि यह राशि ब्याज आय को दर्शाती है जिसे कम्पनी द्वारा अर्जित किया जाता यदि यह मामले एनपीए न हो जाते। तदनुसार, लेखापरीक्षा आपत्ति को केवल लेखांकन दृष्टिकोण के बजाय उपयुक्तता के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

<sup>51</sup> एनपीए का ब्रेकअप प्रबंधन द्वारा प्रदत्त परिसम्पत्ति वर्गीकरण के अनुसार दिया गया है। तथापि, कुल एनपीए आकड़ों, संबंधित वर्षों के वित्तीय विवरणानुसार, से इन आंकड़ों में थोड़ा अन्तर था।

<sup>52</sup> यह वह ब्याज है जो अर्जित किया जाता है यदि यह मामले एनपीए नहीं होते क्योंकि आरबीआई द्वारा निबंधित व्यवस्था के अनुसार एनपीए पर ब्याज को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब इसकी वास्तव में वसूली हो जाये।

## 6.2 पुनर्गठित ऋणों की स्थिति

कम्पनी ने पुनर्गठित ऋणों का सहारा लिया जैसा कि उधारकर्ता द्वारा धनापूर्ति और, नकदी के प्रवाह की खराब स्थिति, परिचालनात्मक हानियां, रूकी हुई और अधूरी परियोजनाओं, ब्याज/अंतरिम रिटर्न और मूल किशतों के पुनर्भुगतान की उधारकर्ता की अक्षमता के कारण अनुरोध किया गया था। पुनर्गठन अग्रिमों के लिए ऐसा पुनर्गठन आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर अनुमोदित होना चाहिए। पिछले चार वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा ऋणों के पुनर्गठन का विवरण नीचे दिया गया है:

### तालिका-6: 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान पुनर्गठित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13 <sup>53</sup>		2013-14		2014-15		2015-16	
	मामले	बकाया राशि	मामले	बकाया राशि	मामले	बकाया राशि	मामले	बकाया राशि
अथ शेष	-	-	3	954.29	12	2031.14	30	4419.64
वर्ष के दौरान पुनर्गठित	13	1488.39	9	1076.85	21	2469.71	4	1022.39
वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गए	उन*	उन*	0	0	03	81.21	3	679.34
अन्त शेष	3	954.29	12	2031.14	30	4419.64	31	4762.69

\* आंकड़े उपलब्ध नहीं

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 31 मार्च 2016 को ₹ 4762.69 की राशि के 31 पुनर्गठित ऋण मामले मौजूद थे। पुनर्गठन के परिणामस्वरूप वास्तविक पुनर्भुगतान तिथियों से आगे की पुनर्भुगतान अवधि विस्तारित हुई जिसके दौरान कम्पनी का जोखिम जारी रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ क्रेडिट सुविधाओं<sup>54</sup> में उधारकर्ताओं को बार बार पुनर्गठन दिया गया था।

<sup>53</sup> आरबीआई अनुबंधित प्रपत्र जो 13-14 से संकलित था के अनुसार पुनर्गठित परिसम्पत्तियों के परिचालन के कारण डाटा उपलब्ध नहीं है।

<sup>54</sup> गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीआरसीएल (आईआईजीटीएल) इन्दौर और आईवीआरसीएल, चेंगापल्ली (आईसीटीएल) पीपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और पीपावाव मरीन आफशोर लिमिटेड इत्यादि

### 6.3 लेखापरीक्षा आपत्तियों

आईएफसीआई द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की जाने वाली ऋणों के लिए नीति जिसे सामान्य ऋण नीति कहा जाता है, में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्देश्यों और क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित है। कम्पनी के हितों की रक्षा के दृष्टिगत कम्पनी द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन, संस्वीकृति, वितरण और मानीटरिंग के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। लेखापरीक्षा में इन नीतियों के अनुपालन की नमूना जांच एनपीए मामलों के नमूनों की जांच द्वारा की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऋणों का सामान्य ऋण नीति और आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उचित मूल्यांकन और निर्धारण किया गया था ताकि परिसम्पत्ति की गुणवत्ता का अनुरक्षण किया जा सके। लेखापरीक्षा मामलों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

#### 6.3.1 पूर्ण रूप से प्रावधान किए गए ऋण

यह पाया गया कि निम्नलिखित पांच मामलों में कम्पनी ने 100 प्रतिशत प्रावधान किया था और परिसम्पत्तियों को संदिग्ध वर्गीकृत किया था। ₹ 296.20 करोड़ के पूरे मूल बकाया का पूर्णतः प्रावधान किया गया था और वसूला न गया ब्याज ₹ 119.09 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 415.29 करोड़ की हानि हुई जैसा नीचे चर्चा की गई है:-

#### क. ईरा हाऊसिंग एंड डेवलेपर लिमिटेड और हाई प्वाइंट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड

आईएफसीआई ने ₹ 180 करोड़ के दो ऋण ईरा हाऊसिंग एंड डेवलेपर लिमिटेड (ईएचडीएल) को संस्वीकृत किए (अक्टूबर 2009/सितम्बर 2010) और ₹ 100 करोड़ का एक ऋण हाई प्वाइंट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड (एचपीआईएफएल), जो ग्रुप कंपनी थी, को संस्वीकृत किया (सितम्बर 2010) और ₹ 233 करोड़<sup>55</sup> वितरित किया गया। प्रतिभूति ईरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (ईआईईएल), एक ग्रुप कम्पनी, के 2.82 करोड़ इक्विटी शेयरों की जमानत थी, जिसमें सभी तीन ऋणों के 2 से 2.5 गुणा का सुरक्षा कवर था। पलवल में भूमि और भवन को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में गिरवी रखना बाद में स्वीकार किया गया था (2011)<sup>56</sup>। कर्जदार ग्रुप ने ऋणों के पुनर्भुगतान में चूकें की (अक्टूबर 2012) जिन्हें और

<sup>55</sup> ईएचडीएल: ₹ 40 करोड़ वितरित किए (अक्टूबर 2009) और ₹ 100 करोड़ (सितम्बर 2010);

एचपीआईएफएल: सितम्बर 2010 में ₹ 100 करोड़, संस्वीकृत, ₹ 93 करोड़ संवितरित

<sup>56</sup> सितम्बर 2012 में ₹ 146 करोड़ का मूल्य

प्रतिभूति (बहादुरगढ़ में 22.91 एकड़ भूमि और पलवल सम्पत्ति से एस्करो प्राप्तियाँ की प्राप्ति पर पुनर्निर्धारित (अप्रैल 2013) किया गया था। तथापि, खाता एनपीए हो गया (30 सितम्बर 2013)। ₹ 129.96 करोड़ के बकाया मूल का पूरी तरह से प्रावधान किया गया था और वसूला न गया ब्याज ₹ 54.95 करोड़ था ( 31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋणों को संस्वीकृत करते समय, केवल गिरवीकर्ता कम्पनी (ईआईईएल) के योग्यता मानदण्ड पर विचार किया गया था और उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया गया क्योंकि ऋण ईआईईएल के शेयरों के प्रति थे। इसके अलावा, आईएफसीआई ने दोनों उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता के विश्लेषण के लिए डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात की गणना नहीं की थी।

भूमि और सम्पत्ति (अगस्त 2011) को गिरवी रखने से पूर्व आईएफसीआई इस तथ्य का सत्यापन करने में विफल रही कि अधिकतर यूनितें तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी जिससे सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत आईएफसीआई की वसूली की कार्यवाही में रूकावट आ सकती थी । तत्पश्चात कम्पनी के संज्ञान में आया (जनवरी 2013) कि ईएचडीएल और एचपीआईएफएल ने आईएफसीआई से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र मार्गें बिना फ्लैटों की बिक्री कर दी थी। गिरवी रखने के बाद उधारकर्ता ने आईएफसीआई से एनओसी मांगे बिना और यूनितों की बिक्री द्वारा सम्पत्ति में दोबारा तीसरे पक्ष का हित सृजित किया जो प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की खराब मानीटरिंग दर्शाता है। यह भी पाया गया कि आईएफसीआई ने पुनर्निर्धारण पैकेज (अप्रैल 2013) के अन्तर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के बावजूद, जिसे बाद में वापसी लिया गया था (जून 2013) बहादुरगढ़ में ₹ 42.56 करोड़ (अगस्त 2013) मूल्य की 9.63 एकड़ भूमि और पलवल सम्पत्ति के 30 फ्लैटों की प्रतिभूति (जुलाई 2014) निर्मुक्त की। पुनर्निर्धारण के निरसन के बावजूद, आईएफसीआई ने अपने सभी प्राप्यों की वसूली के लिए प्रतिभूतियां प्रयोग नहीं की और इसके बजाय, यह जानते हुए कि कर्जदार पहले वाले को नहीं निभा पाया था एक समझौता किया (मार्च 2014) इसे भी बाद में रद्द कर दिया गया (अगस्त 2014)। गिरवी रखी गई सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष अधिकार लेने के बावजूद (नवम्बर 2014) आईएफसीआई उन्हें बेच नहीं पाई क्योंकि बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तदन्तर, जब कुछ खरीददारों जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे ने सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री के आईएफसीआई की कार्रवाई को चुनौती दी तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पलवल सम्पत्ति की

बिक्री पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया (सितम्बर 2015)। अन्ततः आईएफसीआई सभी गिरवी रखे शेयरों को बेचकर केवल ₹ 18.25 करोड़ की वसूली कर सका। प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई, नवम्बर 2016) कि ऋणों की संस्वीकृति वित्तीय मजबूती और ईआईईएल के आधार पर की गई थी। यह भी कहा गया कि ईएचडीएल और एचपीआईएफएल द्वारा बुकिंग और बिक्री के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी और प्रतिभूतियां प्रमोटरों की प्रतिबद्धता के आधार पर जारी की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता पर ऋणों की संस्वीकृति करते समय विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि आईएफसीआई को गिरवी से पूर्व फ्लैटों की बिक्री के बारे में नहीं पता था, सम्पत्ति विवरण के सत्यापन में कमियां दर्शाता है। मौजूदा चूकों और पुनर्निर्धारण की शर्तों को मानने में विफलता के बावजूद प्रतिभूतियां जारी करना भी अविवेकपूर्ण था। वसूली के प्रयासों में ढीलापन था क्योंकि आईएफसीआई ने प्रतिभूतियां प्रवर्तित नहीं की और पुनर्निर्धारण के पैकेज के निरसन (जून 2013) के बावजूद समझौते पर विचार कर रहा था।

#### **ख. कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**

आईएफसीआई ने ₹ 100 करोड़ की राशि के कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीपीएल) (मार्च 2011) के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर्स (सीसीडी) लिए जिन्हें सीपीएल के असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी के प्रति प्राप्त किया गया था। विकास तंत्र प्रमोटरों के कॉल विकल्प<sup>57</sup> के माध्यम से था और आईएफसीआई के पास पुट विकल्प<sup>58</sup> का अधिकार था। सीपीएल ने चूक करना शुरू कर दिया (जून 2012 से) और आईएफसीआई द्वारा पुट विकल्प का प्रयोग (अक्टूबर 2012) भी उधारकर्ताओं/प्रमोटरों द्वारा सम्मानित नहीं किया गया था। जून 2013 तक पुनर्भुगतान के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (जनवरी 2013) द्वारा एक निपटान समझौता दर्ज किया गया था किन्तु सीपीएल ने दोबारा देयों के पुनर्भुगतान में चूक की। खाता एनपीए हो गया (अप्रैल 2014) और ₹ 73.41 करोड़ के मूल बकाया का पूरी तरह से प्रावधान किया गया था। वसूला न गया ब्याज ₹ 42.39 करोड़ था (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 15 प्रतिशत शेयरधारिता प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई थी जबकि सामान्य ऋण नीति में न्यूनतम 26 प्रतिशत की शेयरधारिता की वचनबद्धता थी।

<sup>57</sup> प्रमोटर अंशदान देने के 12 महीने और 18 महीने के बीच अंकित मूल्य पर कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

<sup>58</sup> 18 महीने की समाप्ति पर अंकित मूल्य पर प्रयोग किया जा सकता था यदि प्रमोटर द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता।

क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान, कम्पनी इस तथ्य को नोट करने में विफल रही कि प्रमोटर्स के निवल सम्पत्ति का बड़ा हिस्सा सीपीएल के इक्विटी शेयरों में था और कई सम्पत्तियां या तो आय कर विभाग द्वारा कुर्क या अन्य ऋणदाताओं को गिरवी रखी गई थीं। कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही क्योंकि पुट विकल्प खण्ड में जारीकर्ता के किसी प्रतिस्पर्धी को गिरवी शेयरों को न बेचने की एक प्रतिबंधित शर्त थी जिसने निष्कर्षतः कम्पनी के उपलब्ध निकास विकल्प को बंद कर दिया था। मौजूदा सामान्य ऋण नीति में यह निर्धारित है कि प्रभारित प्रतिभूतियों का रूढ़िवादी आधार पर आवधिक अन्तराल में मूल्यांकन किया जाना है और हर समय निर्धारित मार्जिन बनाए रखना है। तथापि, यह पाया गया कि आईएफसीआई ने ₹ 307.80 प्रति शेयर पर सीपीएल के शेयर के ब्रेकअप मूल्य के बजाय अन्य तुलनात्मक कम्पनियों के सूचीबद्ध शेयरों की औसत कीमत अर्जन अनुपात के आधार पर गैर सूचीबद्ध शेयरों की प्रतिभूति का मूल्यांकन ₹ 797.42 पर किया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति का ₹ 138.15 करोड़ तक अधिक मूल्यांकन हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई, नवम्बर 2016) कि केवल 15 प्रतिशत शेयरधारिता प्राप्त की गई थी क्योंकि सीसीडी में निवेश के लिए कोई विशिष्ट योग्यता मानदंड नहीं था। उसने यह स्वीकार किया कि प्रमोटर्स की नेट वर्थ का काफी बड़ा भाग उधारकर्ताओं की इक्विटी था। आगे यह कहा गया कि सामान्य ऋण नीति के अनुसार असूचीबद्ध शेयरों को अन्तरिक मूल्यांकन के बाद स्वीकार किया जा सकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सामान्य ऋण नीति (2010-11) के खण्ड 3.2.1 (iv) में नियंत्रक/निवेश कम्पनी के वित्तपोषण के लिए योग्यता मानदण्ड में निर्दिष्ट किया गया है कि कम से कम 26 प्रतिशत शेयरधारिता बंधक के रूप में प्राप्त की जानी थी। इसके अलावा, प्रबंधन के असूचीबद्ध शेयरों के मूल्यांकन पर दिए गए उपरोक्त जवाब में इसी खंड का संदर्भ दिया गया है। कंपनी द्वारा अपनाई गयी मूल्यांकन विधि मौजूदा सामान्य ऋण नीति से पृथक थी।

#### **ग. मंदाकिनी कोल कम्पनी लिमिटेड**

कम्पनी ने मंदाकिनी कोल कम्पनी लिमिटेड (एमसीसीएल) को ₹ 200 करोड़ (अप्रैल 2014) का एक अल्पकालिक ऋण संस्वीकृत किया और ₹ 140 करोड़ संवितरित किया (मई 2014)। ऋण सभी चल परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट फर्स्ट चार्ज, उसकी शेयरधारिता की 51 प्रतिशत

वचनबद्धता, लीजहोल्ड खनन अधिकार और तीन कम्पनियों<sup>59</sup> की कारपोरेट गारंटियों के प्रति दिया गया था। चूंकि एमसीसीएल ने ब्याज/मूल भुगतान में चूक की थी (फरवरी/मई 2015), इसलिए कारपोरेट गारंटियां प्रयोग की गई (मई 2015) और आईएफसीआई ने ₹ 99.12 करोड़<sup>60</sup> की वसूली की। वापसी नोटिस (फरवरी 2016) और समाप्ति नोटिस (फरवरी 2016) जारी किया गया था। ऋण पर ₹ 46.69 करोड़ (पूर्णरूप से प्रावधान किए गए) का मूल और ₹ 10.04 करोड़ (31 मार्च 2016) का वसूला न गया ब्याज बकाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सामान्य ऋण नीति में 1.75 के प्रतिभूति कवर का प्रावधान था जिसमें से स्थायी परिसम्पत्तियों और मूर्त सहायक कम से कम ऋण की राशि के बराबर होने चाहिए, ऋण को बिना किसी स्थायी परिसम्पत्ति के प्रतिभूति कवर के संस्वीकृत किया गया और इसके बजाय ₹ 191 करोड़ मूल्य की चल परिसम्पत्तियों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया गया था। इनमें मुख्य रूप से प्रशासन प्रभागों पर किए गए भुगतान की राशि और डिविजनल वन अधिकारी, औद्योगिक संरचनात्मक विकास निगम इत्यादि द्वारा की गई मांग के प्रति भुगतान शामिल है। इन्हें प्रतिभूति नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह परियोजना व्यय की प्रकृति के हैं। कोयला ब्लॉकों के आबंटन से संबन्धित मामलों और भारी बकाया ऋणों के कारण कर्जदार की रेटिंग सीआरआईएसआईएल द्वारा निगरानी में रखे जाने के बावजूद संस्वीकृति से पूर्व कर्जदार का व्यापक मूल्यांकन भी नहीं किया गया था जबकि वाणिज्यिक संचालन अभी शुरू होना था। संस्वीकृति पश्च संशोधन जैसे यदि उधारकर्ता 31 दिसम्बर 2014 तक खनन लाइसेंस/पट्टा अधिकार प्राप्त करने में विफल रहता है तो सुविधा को वापिस लेने के अधिकार का त्याग भी किया गया (मई 2014) जिससे आईएफसीआई के वसूली के अधिकार कमजोर हो गए थे। अनिवार्य पूर्व भुगतान<sup>61</sup> से संबंधित खण्ड भी बिना किसी औचित्य के पूर्व भुगतान अवधि को तीस दिन से साठ दिन तक बढ़ा कर संशोधित किया गया था (मई 2014)। इसके अलावा कोयला ब्लॉक आवंटन के रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2014) के तुरन्त बाद 9 जनवरी 2015 को समाप्त होने वाली 60 दिन की नोटिस अवधि के अन्दर, खान के आबंटन रद्द होने के मामले में, ऋण को वापसी लेने के बजाय, कम्पनी ने कर्जदार के अनुरोध (जनवरी 2015) पर 120

<sup>59</sup> टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (टीपीसीएल), जिंदल फोटो लिमिटेड (जेपीएल) एवं मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एमईआईएल) प्रत्येक के 1/3 ऋण राशि की सीमा तक।

<sup>60</sup> टीपीसीएल ने ₹ 47.80 करोड़ (अगस्त 2015) और जेपीएल ने ₹ 51.32 करोड़ (नवम्बर 2015) का भुगतान किया।

<sup>61</sup> मंत्रालय द्वारा खान की मनाही/अनावंटन पर आईएफसीआई द्वारा पुट विकल्प का प्रयोग करने से एमसीसीएल को ऋण के पूर्व भुगतान के लिए 30 दिन दिए जाएंगे।



दिनों का एक और विस्तारण प्रदान कर दिया। इसी दौरान, मंदाकिनी कोयला ब्लॉक सभी अधिकारों और स्वत्वाधिकारों के साथ एक नए आबंटि को आबंटित किया गया था। इसके अलावा, उधारकर्ता को उसके ₹ 243.99 करोड़ (₹ 140 करोड़ के आईएफसीआई ऋण सहित) के दावे के प्रति सरकार द्वारा केवल ₹ 5.57 करोड़ प्रस्तावित (मार्च 2015) किए गए थे जो कि कोयला खान अध्यादेश, 2014 के अनुसार भूमि और खान संरचना में निवेश की गई लागत थी।

कम्पनी को समूह में कई ऋणों के कारण एनसीडी के माध्यम से एमआईईएल में ₹ 250 करोड़ (11 फरवरी 2014) का एक्सपोजर भी था। तथापि, कम्पनी ने कारपोरेट गारंटीदाता होने के बावजूद उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं प्रारंभ करने का निर्णय लिया ताकि 31 मार्च 2016 तक उनके पास कम्पनी के ₹ 272.76 करोड़ तक के मौजूदा एक्सपोजर को खतरे में न डाला जाए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून, नवम्बर 2016) कि चल परिसम्पत्तियों से 1 एफएसीआर (ऋण के बराबर राशि) को औचित्यपूर्ण माना गया था और मंत्रालय द्वारा एमसीसीएल को व्यय की प्रति पूर्ति पर आईएफसीआई का पहला अधिकार होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चल परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से प्रशासन प्रभार और डिवीज़नल वन अधिकारी, औद्योगिक संरचनात्मक विकास निगम द्वारा की गई मांगों के प्रति किए गए भुगतान शामिल थे और इन्हें प्रतिभूति नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, कोयला खान अध्यादेश, 2014 की योजनानुसार आईएफसीआई किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा क्योंकि भूमि और खानों में उसका कोई प्रतिभूति हित नहीं है इसलिए ₹ 56.73 करोड़ के प्राप्यों की वसूली की संभावना काफी कम थी।

#### **घ. आरईआई एगो लिमिटेड**

कम्पनी ने आरईआई एगो लिमिटेड (आरईआईएएल) को ₹ 100 करोड़ (जून 2012) का एक कारपोरेट ऋण दिया जो की ऋण के बराबर की राशि के आरईआईएएल के शेयरों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रख कर और सभी स्थायी परिसम्पत्तियों (1.25 गुणा) के समरूप प्रभार पर संस्वीकृत किया गया । ₹ 35 करोड़ का संवितरण केवल शेयरों की प्रतिभूति पर किया गया (जुलाई 2012) और पहला समरूप प्रभार देने के लिए तीन महीनों का विस्तारण दिया गया था। गिरवी के बाद (दिसम्बर 2012) ₹ 65 करोड़ की शेष राशि संवितरित की गई (जनवरी 2013)। चूंकि उधारकर्ता ने देयों के पुनर्भुगतान में चूक की थी (जनवरी 2014),

इसलिए संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन किया गया और सुधारात्मक कार्य योजना के तहत एक पुनर्गठन समझौता निष्पादित किया गया (जून 2014)। आरईआईएएल ने काफी विलम्ब के बाद केवल दो किशतों का भुगतान किया और तीसरी किशत की वसूली शेयरों की बिक्री से की गई थी। 10 जनवरी 2015 को खाता एनपीए हो गया और 18 फरवरी 2015 को सरफेसी नोटिस जारी किया गया था। आईएफसीआई ने सभी गिरवी शेयरों की बिक्री द्वारा ₹ 40.50 करोड़ की राशि की वसूली की। ₹ 31.89 करोड़ (पूर्ण प्रावधान किया गया) का बकाया मूल और ₹ 8.52 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया था (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईआईएएल की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति<sup>62</sup> बिगड़ने के बावजूद ऋण की संस्वीकृति की गई थी। मौजूदा सामान्य ऋण नीति में अनुबद्ध न्यूनतम 1.5 के प्रति औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात 1.38 था। सीआरएमडी ने अपने जोखिम नोट में कहा था कि अस्थिर बाजार में आरईआईएएल के गिरवी इक्विटी शेयरों के मूल्य के गिरने का खतरा मौजूद है। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (दिसम्बर 2014)<sup>63</sup> और फैक्ट्री विजिट निरीक्षण रिपोर्ट (नवम्बर 2014)<sup>64</sup> में उधारकर्ता के विरुद्ध निधियों के विपथन/निकालने और वित्तीय विवरणों को गलत प्रदर्शित करने की गंभीर आपत्तियां पाई गईं। अतः प्रतिभूति के मूल्य में काफी कटाव के कारण ₹ 40.41 करोड़ की वसूली संदेहपूर्ण थी<sup>65</sup>।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून, नवम्बर 2016) कि आईएफसीआई ने आरईआईएएल को ₹ 100 करोड़ की नई सुविधा संस्वीकृत की थी क्योंकि उसकी रेटिंग 'सीएआरआई ए+' थी और पूर्व में उसने अपने आन्तरिक संसाधनों से अल्पावधि पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया था।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि वित्तीय मापदंडों का प्रभाव, जो कि 2011-12 में काफी कम हो गए थे, को ऋण की संस्वीकृति के समय देखा जाना चाहिए था।

<sup>62</sup> 2011-12 में 2010-11 की तुलना में बढ़ते ऋण (129.14 प्रतिशत तक वृद्धि), ब्याज लागत (57.19 प्रतिशत तक वृद्धि) पीएटी में गिरावट (19.50 प्रतिशत तक) चालू अनुपात (8.08 प्रतिशत तक) और एफएसीआर (38.22 प्रतिशत तक)

<sup>63</sup> लेखापरीक्षकों ने निधियों के उपयोग जैसे संबंधित कम्पनियों में निवेश, संदिग्ध/संबंधित पार्टियों को बिक्री, देनदारों द्वारा पुष्टि न करना इत्यादि अनियमितताएं पाईं।

<sup>64</sup> ऋणदाताओं ने यूनियो/गोदामों में उनके दौरे में स्टॉक में भंडार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाया, यूनियो कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बंद हो गई थी।

<sup>65</sup> स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति का मूल्य 8 नवम्बर 2014 को ₹ 1778 करोड़ और 31 मार्च 2015 को ₹ 945 करोड़ था।

**ड एसईडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड/एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**

कम्पनी ने एसईएल की धारित कम्पनी अर्थात एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल) द्वारा तिमाही रूप से देय 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की अंतरिम रिटर्न के साथ एसईडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसईएल) के ₹ 150 करोड़ के पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (एफसीडी) खरीदे। अंतिम रिटर्न वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 13.5 प्रतिशत थी और एसआईएल द्वारा वापसी खरीद के समय देय थी। 30 अगस्त 2010 को ₹ 50 करोड़ का संवितरण किया गया था। कम्पनी ने एसआईएल<sup>66</sup> के बजाय एसईएल को अंतरिम रिटर्न देने के दायित्व के साथ साथ वापसी खरीद की देयता देकर संस्वीकृति की शर्तों को संशोधित किया और एसआईएल की कॉरपोरेट गारंटी को छोड़ दिया (अगस्त 2010)। अवितरित ₹ 100 करोड़ की राशि को रद्द कर दिया (मई 2012) क्योंकि एसईएल ने उसका लाभ नहीं उठाया। एफसीडी का 30 अगस्त 2013 को बुलेट किश्त में पुनर्भुगतान किया जाना था। एसईएल के अनुरोध पर, पुनर्भुगतान समय को तीन भागों<sup>67</sup> में भुगतान हेतु विभाजित कर संशोधित किया गया था। (11 सितम्बर 2013)। उधारकर्ता 30 अगस्त 2014 को देय तीसरी किश्त का भुगतान करने में विफल रहा और खाता 31 मार्च 2015 को एनपीए हो गया।

नागपुर में स्थित ₹ 60.06 करोड़ मूल्य (अगस्त 2014) की एक भूमि को प्रतिभूति और एसईएल के 88.66 लाख शेयरों की वचनबद्धता के रूप में गिरवी रखने के प्रति एसआईएल को ₹ 40 करोड़ का एक और ऋण संस्वीकृत किया गया (18 जुलाई 2014)। एसआईएल ने 15 अप्रैल 2015 से पुनर्भुगतान में चूक की और खाता एनपीए हो गया (31 दिसम्बर 2015)। वापसी खरीद के करार के तहत पुनर्भुगतान पाने के लिए एसआईएल ने तामिलनाडु की ₹ 13.43 करोड़ मूल्य की एक और भूमि को गिरवी रखा (9 मई 2016)। कुल मूल बकाया ₹ 54.25 करोड़ था और वसूल न किया गया ब्याज ₹ 9.20 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने एसईएल की एफसीडी केवल एसआईएल की कारपोरेट गारंटी की प्रतिभूति, निदेशक की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर ली थी और कोई मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी। एफसीडी लेते समय, एसआईएल के योग्यता मानदण्ड की जांच की गई और उधारकर्ता (एसईएल) के वित्तीय सूचकों को ध्यान में नहीं रखा गया क्योंकि एसआईएल को एफसीडी वापिस खरीदनी थी। उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता पर

<sup>66</sup> यदि एसईएल चूक करता है तो एसआईएल को बायबैक देयता का सम्मान करना था।

<sup>67</sup> 30 अगस्त 2013 तक बुलेट पुनर्भुगतान के बाजय बायबैक को तीन बराबर किश्तों (अगस्त 2013, फरवरी 2014 और अगस्त 2014) में संशोधित किया गया।

उस समय भी विचार नहीं किया गया जब कम्पनी ने संस्वीकृति की शर्तों को संशोधित (अगस्त 2010) कर एसईएल को अन्तरिम रिटर्न का दायी बनाने के साथ साथ वापसी खरीद की देयता भी दी थी। संस्वीकृति नोट में यह भी उल्लेख किया गया था कि एसईएल 2015<sup>68</sup> तक कोई लाभ अर्जित नहीं करेगा जबकि आईएफसीआई को उसकी पुनर्भुगतान देयता अगस्त 2013 तक उत्पन्न होगी।

एसआईएल को ऋण स्वीकृत किया गया जबकि एसआईएल ने सामान्य ऋण नीति में निर्धारित योग्यता मानदण्ड को पूरा नहीं किया था क्योंकि 1.20 के बजाय उसका चालू अनुपात 1.02 था; गुप स्तर पर समेकित ऋण इक्विटी अनुपात 3.5 निर्धारित था किन्तु समेकित वित्तों की समीक्षा नहीं की गई थी। सामान्य ऋण नीति में निर्धारित न्यूनतम 2.50 गुणा के प्रति कुल प्रतिभूति कवर 2.25 गुणा था और एसआईएल के डीएससीआर में भी पिछले दो वर्षों से गिरावट आ रही थी और वह 0.86 (2013-14) था। उसके नामिति और स्वतंत्र निदेशक आरबीआई की सूची में थे और इस अन्तर को कार्यकारी समिति ने मंजूरी दे दी थी।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई, नवम्बर 2016) कि यह परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे और एसईएल को ऋण एसआईएल की वित्तीय क्षमता के आधार पर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण जोखिम तत्त्वों और उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन संस्वीकृति/संशोधन के समय उचित रूप से नहीं किया गया था। ₹ 63.45 करोड़<sup>69</sup> के कुल बकाया ऋण में से, एसईएल के संबंध में ₹ 14.25 करोड़ के मूल का पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया था।

### 6.3.2 संदेहपूर्ण और अवमानक परिसम्पत्तियां

उन मामलों के अतिरिक्त, जहां बकाया राशि पूरी तरह से प्रावधान की गई थी, जैसा ऊपर पैरा 6.3.1 में चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा जांच में 18 एनपीए मामलों में कमियों का पता चला जहां ₹ 908.13 करोड़ के वसूले न गए ब्याज सहित ₹ 3799.33 करोड़ की बकाया राशि की वसूली संदेहपूर्ण थी।

<sup>68</sup> 2007-2008 और 2008-09 के लिए, लाभ और हानि खाता तैयार नहीं किया गया था क्योंकि एसईएल ने कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया था और 2009-10 के लिए ₹ 5 लाख की हानि हुई थी।

<sup>69</sup> मूल: एसईएल-₹ 14.25 करोड़ और एसआईएल-₹ 40 करोड़, ब्याज: एसईएल-₹ 3.19 करोड़ और एसआईएल-₹ 6.01 करोड़

पाई गई कमियों में उधारकर्ताओं के क्रेडिट मूल्यांकन में पाई गई कमियों सहित सामान्य ऋण नीति/संस्वीकृति की शर्तों के प्रावधानों के उल्लंघन, ऋणों की अपर्याप्त मानीटरिंग, वसूली अधिकारों की रक्षा के लिए प्रवर्तनीय प्रतिभूतियां बनाने में कमियां, ऋण प्राथमिक प्रतिभूतियां बनाए बिना वितरित करने और मौजूदा चूकों के बावजूद प्रतिभूतियां जारी करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, ऋणों की अपर्याप्त मानीटरिंग भी प्रतिभूति लागू करने में विलम्बों से स्पष्ट थी।

सामान्य कमियों के साथ 10 मामलों पर आपत्तियां अनुबंध - 2 में प्रस्तुत की गई हैं और आठ एनपीए पर विस्तृत आपत्तियों का यहां विस्तृत ब्यौरा दिया गया है:

#### क. श्रावथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल)

कम्पनी ने जुलाई 2010 और मई 2011 के बीच श्रावथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल), को जिसे श्रावथी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) द्वारा प्रवर्तित किया गया था, को उत्तराखंड में (225 में.वा प्रत्येक के दो चरणों में) एक गैस आधारित थर्मल प्लांट के लिए ₹ 1081.34 करोड़ की अंडर राइटिंग सुविधाएं दी और ₹ 113.30 करोड़ के इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान किया। संस्वीकृत राशि में से, ₹ 722.60 करोड़<sup>70</sup> अंडर राइटिंग सुविधाओं के लिए और ₹ 94.46 करोड़ इक्विटी अभिदान के लिए जारी किया गया था। यह सुविधाए परियोजना की सभी अचल सम्पत्तियों (वर्तमान और भविष्य) के प्रथम गिरवी (चरण-I और चरण-II) की सामान्य सुविधाओं पर प्रथम समरूप प्रभार सहित) के साथ साथ एसईपीएल शेयरों की 51 प्रतिशत प्रतिबद्धता, प्रामोटरों की व्यक्तिगत गारंटी और कारपोरेट गारंटी द्वारा सुरक्षित की गयी थी। क्रेडिट सुविधाओं का पुनर्भुगतान वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 10.5/12.9 वर्षों में करना था जबकि इक्विटी निवेश के लिए दो अवधियों<sup>71</sup> की समाप्ति पर केवल पुट विकल्प था। चरण-I और चरण-II की परियोजना ₹ 845 करोड़ और ₹ 898 करोड़ की कुल लागत पर निर्मित होना परिकल्पित था और उनका सीओडी प्राप्त करना क्रमशः दिसम्बर 2011 और मार्च 2012 में निर्धारित था। आईएफसीआई और एक्सिस बैंक ने संयुक्त रूप से चरण-I की पूरी ऋण आवश्यकता को अंडरराइट किया। आईएफसीआई ने ₹ 333.75 करोड़ का एक्सपोजर अंडरराइट किया किन्तु सफल रूप से ऋण के भाग को बेचने<sup>72</sup> के बाद अपनी संस्वीकृति को ₹ 148.75 करोड़ तक

<sup>70</sup> चरण-I संवितरण 31.8.2010 से 3.2.2011. तक किए गए थे चरण-II संवितरण मार्च 2011 से सितम्बर 2014 तक किए गए

<sup>71</sup> लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष के बीच और दोबारा तीसरे और पाँचवें वर्ष के बीच

<sup>72</sup> यह अन्य बैंक को दिए गए अंडरराइट किए गए ऋण का भाग है।

सीमित किया। चरण - II में आईएफसीआई ने ₹ 673.50 करोड़ की पूरी ऋण आवश्यकता की अंडरराइटिंग की और ₹ 300 करोड़ तीन बैंको को बेच दिया<sup>73</sup>।

चरण-I का भौतिक निर्माण पूरी तरह से पूर्ण हो गया था किन्तु वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 420.87 करोड़<sup>74</sup> का लागत आधिक्य, जो कि सरकार से सब्सिडी दरों पर गैस जो विद्युत सृजन के लिए एक आधार-भूत इनपुट हैं की अनुपलब्धता के कारण था। चरण-II का निर्माण 85 से 90 प्रतिशत तक पूरा हुआ था और निधियों की कमी और गैस आबंटन न होने के कारण रोक दिया गया था। कर्जदारों ने चरण-I के लिए दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2014 तक और चरण-II के लिए मार्च 2012 से मार्च 2015 तक दो से तीन बार सीओडी बढ़ा कर ऋण पुनर्गठित किया।

चरण-II में, जब सभी ऋणदाता बैंको, जिन्हें आईएफसीआई ने अंडरराइटिंग वचनबद्धता बेची थी, ने गैस की अनुपलब्धता के कारण क्रेडिट सुविधाएं न देने का निर्णय लिया, कम्पनी ने उधारकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संवितरण करना जारी रखा और ₹ 100 करोड़ की एक टेक एंड होल्ड प्रतिबद्धता के प्रति<sup>75</sup> ₹ 537.33 करोड़ का संवितरण किया।

जैसा कि एसईपीएल ने मूल और ब्याज के भुगतान में चूक की थी, ₹ 94.46 करोड़ के इक्विटी जोखिम के साथ दोनों चरणों के लिए ₹ 722.60 करोड़ का मूल और ₹ 307.99 करोड़ के ब्याज का बकाया एकत्रित हो गया था। इन परिसम्पत्तियों को 31 मार्च 2014 से कम्पनी की बहियों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

चूंकि गैस का आवंटन न होने के कारण सीओडी प्राप्त नहीं की जा सकी (चरण-II) और चरण-II की पूर्णता के लिए मियादी ऋण का पूरक निधियन लाने के लिए प्रमोटरों में वित्तीय मजबूती नहीं होने के दृष्टिगत जेएलएफ ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार नीतिगत ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2015)। एसडीआर पैकेज में उधारकर्ताओं को बकाया ऋण और ब्याज का कम्पनी के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण उनके यथानुपात जोखिम के आधार पर करना शामिल था ताकि कम्पनी के 51 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी प्राप्त की जा सके। जेएलएफ द्वारा एसडीआर पैकेज 15 दिसम्बर 2015 को अनुमोदित और अप्रैल 2016 में कार्यान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

<sup>73</sup> स्टेट बैंक आफ पटियाला, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और केनरा बैंक प्रत्येक को ₹ 100 करोड़

<sup>74</sup> ₹ 1265.87 करोड़ - ₹ 845 करोड़ अनुमानित लागत

<sup>75</sup> यह ऋणदाता द्वारा उसके शेयर के रूप में रखे गए अंडरराइट किए हुए ऋण का भाग है।

i) दोनो चरणों में अडंरराईटिंग और इक्विटी सुविधा संस्वीकृत करते समय योग्यता मानदंडों में सामान्य ऋण नीति की शर्तों से विचलन थे जैसा नीचे चर्चा की गई है:

- कम्पनी की ऋण नीति के संदर्भ में, उधारकर्ता/प्रमोटर कम्पनी द्वारा क्रेडिट सुविधा का लाभ लेने के लिए पिछले तीन वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए। यद्यपि, उधारकर्ता (एसईपीएल) के साथ साथ प्रमोटर (एसआईपीएल) दोनो ही नवगठित (2009) थे और इस मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे, कम्पनी ने ₹ 333.75 करोड़ (चरण I) और ₹ 673.50 करोड़ (चरण-II) की क्रेडिट सुविधा प्रदान की।
- उधारकर्ता (एसईपीएल) के पास अपेक्षित सीआरआईएसआईएल की न्यूनतम बीबीबी (चरण-II) की निवेश क्रेडिट रेटिंग के प्रति कोई रेटिंग नहीं थी ।
- चरण-I में, प्रमोटर कम्पनी की निवल संपत्ति निर्धारित ₹ 200 करोड़ की जगह एसआईपीएल के पास केवल ₹ 1 लाख की प्रदत्त पूंजी के साथ केवल ₹ 0.82 करोड़ की निवल संपत्ति थी । इस मानदंड में न केवल ढील दी गई किन्तु इक्विटी में गैर प्रतिभूति के ऋणों को शामिल करके ₹ 52.88 करोड़ पर गलत दर्शाया गया था। इसी प्रकार, चरण-II में ₹ 300 करोड़ के संयुक्त निवल सम्पत्ति के मानदण्ड के प्रति एसआईपीएल और व्यक्तिगत प्रमोटर की निवल संपत्ति केवल ₹ 61.20 करोड़<sup>76</sup> थी जिसमें ढील दी गई थी।

ii) चरण-I के लिए एलओआई जारी होने (30 जुलाई 2010, 23 मई 2011) के दो दिन के अन्दर और चरण-II के लिए उसी दिन (2 अगस्त 2010, 23 मई 2011) उधारकर्ता द्वारा एलओआई में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए संशोधनों में दोनो चरणों की एलओआई में निर्धारित संवितरण से पूर्व शर्तों के लिए, जैसे गैल के साथ दीर्घकालिक आधार पर 100 मेवा के लिए पक्का गैस आवंटन समझौता करने, और अल्पकालिक आधार पर 125 मे.वा. के लिए पक्का विद्युत खरीद करार (पीपीए) करने को संशोधित किया गया (अगस्त 2010, जून 2011) जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से केजी बेसिन से गैस का आवंटन सुनिश्चित करने का एक आश्वासन पत्र प्राप्त करने का विकल्प देकर अल्पकालिक पक्के पीपीए करार की आवश्यकता को हटाना था जिससे कर्जदार को आसानी से संवितरण हेतु लाभ दिया गया ।

<sup>76</sup> एसआईपीएल की निवल सम्पत्ति ₹ 26.34 करोड़ (फरवरी 2011) और व्यक्तिगत प्रमोटर की निवल सम्पत्ति ₹ 34.86 करोड़ था (मार्च 2011)।

(iii) इक्विटी निवेश बिना किसी दृढ वापसी खरीद करार आशवासित प्राप्ति या प्रतिभूति के किया गया था तथा केवल एक पुट विकल्प उपलब्ध था जो एक विश्वसनीय प्रतिभूति नहीं थी।

(iv) ₹ 75.33 करोड़ (30 अगस्त 2010) का पहला संवितरण (चरण-I) परिसम्पत्तियों पर प्रभार के पंजीकरण की पूर्व संवितरण की शर्त के उल्लंघन में किया गया था। इसी प्रकार, ₹ 90.38 करोड़ (संवि सं. 3,4, और 7)<sup>77</sup> का चरण-II का संवितरण परियोजना परिसम्पत्ति पर बिना समरूप प्रभार सृजित किए तथा इसके लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर जारी किया गया था (नवम्बर 2011 और जून 2012)। इसके अलावा, ₹ 41.80 लाख<sup>78</sup> की अग्रिम राशि की प्राप्ति की संवितरण पूर्व शर्त का भी उल्लंघन किया गया था क्योंकि सितम्बर 2013 और मार्च 2014 के दौरान ₹ 51.68 करोड़<sup>79</sup> की राशि का संवितरण (संवि. सं. 15,16 और 17) अग्रिम राशि की प्राप्ति के बिना जारी किया गया था। इन अग्रिम राशियों को बाद में ऋण खाते में बही समायोजन के रूप में डेबिट किया गया था।

v) चरण-I में, आईएफसीआई ने सिंडिकेशन के बाद (मार्च 2011) ₹ 148.75 करोड़ की कुल ऋण की तय सीमा के प्रति उधारकर्ता को ₹ 153.86 करोड़ (मार्च 2011) संवितरित किए थे जिसके परिणामस्वरूप अंडरराइट की गई प्रतिबद्धता से अधिक संवितरण हुआ। ₹373.50 करोड़ (चरण-II) की अंडरराइट की गई प्रतिबद्धता के प्रति आईएफसीआई ने ₹ 115.05 करोड़<sup>80</sup> का अधिक संवितरण किया जो कि तीनों बैंकों से प्रत्येक बैंक द्वारा ₹ 100 करोड़ के पिछले समझौते पर हस्ताक्षर के बाद था (फरवरी 2012)। विधि विभाग के मत और सीईओ एवं एमडी के अभिकथन के बावजूद (नवम्बर 2012) आईएफसीआई अपनी घटाई गयी प्रतिबद्धता से अधिक जारी करने के लिए बाध्य नहीं था, तो भी ₹ 115.05 करोड़ की राशि अंडरराइट की गई प्रतिबद्धता से अधिक जारी की गई थी।

vi) परियोजना के वित्तीय पक्ष की जांच करते समय, आईएफसीआई ने कई मौजूदा परियोजनाओं में गैस की आपूर्ति की कमी की समस्या के बारे में विचार नहीं किया। तथापि, इस जोखिम को कम आँका गया क्योंकि लेखापरीक्षा ने न तो एमओपीएनजी से कोई ठोस प्रतिबद्धता पाई न किसी घरेलू आपूर्तिकर्ता के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) किया

<sup>77</sup> ₹ 44.21 करोड़ + ₹ 34.40 करोड़ + ₹ 11.77 करोड़

<sup>78</sup> ₹ 13.20 लाख + ₹ 14.04 लाख + ₹ 14.56 लाख

<sup>79</sup> ₹ 16.32 करोड़ + ₹ 17.36 करोड़ + ₹ 18 करोड़

<sup>80</sup> जून 2013 से जुलाई 2014



गया था ताकि एसईपीएल 70 प्रतिशत घरेलू गैस की व्यवस्था कर सकेगा। इनपुट लागत के प्रति कोई संवेदनशील विश्लेषण भी नहीं किया गया था।

vii) चरण-II के लिए ₹ 673.50 करोड़ के पूरे ऋण की प्रतिबद्धता के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन (9 नवम्बर 2010) इस तथ्य की परवाह किए बिना दिया गया था कि मौजूदा चरण-I परियोजना को आवंटित गैस को ही अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। नामिति निदेशक के गैस पाइपलाइन की पूर्णता में विलम्ब की शंकाओं (5 मई 2011) और गैस आवंटन (चरण-I) पर कार्यकारी निदेशक की चिन्ता, जो कि परियोजना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक था, के बावजूद चरण-II को अनुमोदन दिया गया (23 मई 2011)।

viii) ब्याज/मूल भुगतानों में न्यूनतम ₹ 1.60 करोड़ से अधिकतम ₹ 14.15 करोड़ की चूकों को ₹ 94.72 करोड़ की जारी सात संवितरित राशियों से समायोजित किया गया था जिसमें कम्पनी<sup>81</sup> द्वारा जारी आश्वासन पत्र के प्रति भुगतान भी शामिल थे। यह समायोजन ऋण को एनपीए श्रेणी में आने से बचाने के लिए थे जो आरबीआई के खातों को एवरग्रीन रखने का सहारा न लेने के मानदण्डों के उल्लंघन में था।

श्रांथी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के ऋण खाते के संबंध में आईएफसीआई लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ एवं एमडी के विरुद्ध शिकायत के मामले पर जांच रिपोर्ट निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी (2 जुलाई 2015) जिसने बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी सैल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एफआईआर करने की सहमति प्रदान की।

प्रबन्धन ने योग्यता मानदण्ड (क्रेडिट रेटिंग और उधारकर्ता/प्रमोटर के निवल संपत्ति के संबंध में) में छूट, प्रतिभूति सृजन के प्रति पूर्व संवितरण शर्तों के अनुपालन, के साथ साथ संवितरणों से अग्रिम शुल्क के समायोजन के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते समय कहा कि मामले की जांच सर्तकता विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि नवगठित होने के बावजूद अन्य बैंको ने भी एसईपीएल को ऋण दिए थे; संवितरण पूर्व शर्तों में संशोधन किए गए थे क्योंकि परिभाषित प्राथमिकता के अनुसार परियोजना एमओपीएनजी के क्षेत्राधिकार में आ गई थी। चरण-II के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन नवम्बर 2010 में दिया गया था जबकि नामिति निदेशक की फीडबैक रिपोर्ट मई 2011 में उसके बाद प्राप्त हुई थी। चरण-II के लिए ऋण की प्रतिबद्धता ली गई थी क्योंकि परियोजना XI<sup>वीं</sup>

<sup>81</sup> अप्रैल 2012 से अगस्त 2012 के बीच अन्य ऋणदाताओं द्वारा खोले गए एलओसी के लिए (संवित सं. 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11)

योजना में सीओडी प्राप्त करने हेतु बनाई गयी थी और गैस आवंटन प्रत्याशित था। ₹443.37 करोड़ की प्रतिबद्धता से अधिक संवितरण कानूनी राय लेने से पहले ही किया जा चुका था। ब्याज चूको के बावजूद चरण-II के संबंध में संवितरण जारी कर दिए गए थे ताकि आश्वासन पत्रों (एलओसी) की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। कम्पनी की इक्विटी देने के लिए पुट/काल विकल्प अवैध हो गए थे क्योंकि एसडीआर का प्रयोग कर लिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक विवेक की मांग थी कि कम्पनी क्रेडिट गुणवत्ता आधार पर निर्णय लेती और अन्य संगठन कैसे कार्य करते हैं उस पर नहीं। संस्वीकृति की महत्वपूर्ण शर्तों में संशोधन तर्कसंगत नहीं था विशेष रूप से गैस आवंटन जिसकी संस्वीकृति की तिथि के समय से पहले से ही कम आपूर्ति थी और यह तथ्य, कि परियोजना उत्तराखंड में स्थित थी जो कि विद्युत आधिक्य वाला राज्य था, को सीआरएमडी के जोखिम मूल्यांकन नोट में बताया गया था। संस्वीकृति के समय परियोजना पहले से ही एमओपीएनजी के क्षेत्राधिकार में थी (सितम्बर 2010)। अतः परियोजना गैस आवंटन के मानदण्ड को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि प्राथमिकता विद्युत की कमी वाले राज्यों में स्थित मौजूदा परियोजनाओं को दी जानी थी। अतः आश्वासन पत्र प्राप्त करना आवंटन की गारंटी नहीं थी। चरण-II के लिए क्रेडिट सुविधा का अनुमोदन 23 मई 2011 को कार्यकारी निदेशक के चरण-I में भी गैस उपलब्धता न होने की शंकाओं (9 मई 2011) और इस तथ्य कि बिना घरेलू गैस आपूर्ति के परियोजना व्यवहार्य नहीं हो सकती थी, के बावजूद दिया गया था। यह तथ्य, कि जोखिम लेने के समय कई मौजूदा परियोजनाएं एमओपीएनजी से गैस आवंटन की प्राथमिकता के बाद भी 2010-11 से आरआईएल के केजी-डी 6 ब्लॉक से कम गैस उत्पादन के दृष्टिगत पहले ही आपूर्ति की कमी का सामना कर रही थी, की अनदेखी की गई थी। गैस की उपलब्धता की अनिश्चितता के कारण अपनी स्वयं की प्रतिबद्धता जारी न करने के अन्य बैंकों के निर्णय आईएफसीआई को यह प्रतिबद्धता लेने के लिए मजबूर नहीं करते क्योंकि वह इसे पहले ही बेच चुका था।

अतः क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति/संवितरण में विवेकपूर्ण निर्णय के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 722.60 करोड़ के बकाया ऋण और ₹ 94.46 करोड़ के इक्विटी निवेश की वसूली न होने के अलावा ₹ 399.74 करोड़ (₹ 307.99 करोड़ जमा ₹ 91.75 करोड़) की इक्विटी राशि पर ब्याज और रिटर्न की वसूली नहीं की जा सकी।

**ख. एमवीएल लिमिटेड**

एमवीएल लिमिटेड को एमवीएल के इक्विटी शेयरों<sup>82</sup> की 2.5 गुणा प्रतिभूति, प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी और एमवीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक ग्रुप कम्पनी, की कारपोरेट गारंटी के साथ ₹ 50 करोड़ का एक कारपोरेट ऋण संस्वीकृत और संवितरित किया गया था (मई 2010)। चूंकि एमवीएल ने पुनर्भुगतान में चूक की थी (दिसम्बर 2011) देयों की वसूली के लिए उसके शेयरों को बेच<sup>83</sup> दिया गया था। तथापि, चूक जारी रहने के कारण ऋण एनपीए हो गया (30 सितम्बर 2012)। आईएफसीआई ने ऋण वापिस मांगा और नवम्बर 2012 में गारंटी को भुना लिया। एमवीएल के रियल एस्टेट परियोजना में 76 फ्लैटों की अतिरिक्त प्रतिभूति के साथ ऋण को पुनर्गठित किया गया था (अगस्त 2013)। तथापि उधारकर्ता ने पुनर्गठन पैकेज के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया था। इसलिए पुनर्गठन पैकेज को रद्द कर दिया गया (जुलाई 2014)। 31 मार्च 2016 तक ऋण का ₹ 43.80 करोड़ का मूल और ₹ 34.39 करोड़ का वसूला न गया ब्याज बकाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने सीआरएमडी द्वारा अपने जोखिम नोट में यह बताए जाने के बावजूद कि अधिकतर शेयर प्रमोटर के पास थे और इसमें काफी उतार चढ़ाव हो सकते हैं और आईएफसीआई को शेयरों के परिसमापन में कठिनाई आएगी, एमवीएल के शेयर प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किए। सीआरएमडी ने आगे सचेत किया कि शेयर कीमतें अधिक मूल्य की बताई गई प्रतीत होती हैं और इसलिए अतिरिक्त सहायक प्रतिभूति प्राप्त करने की संभावना टूटती जानी चाहिए। आईएफसीआई इस तथ्य को भी संज्ञान में लेने में विफल रहा कि 2009-10 के लिए प्रक्षेपित वित्तीय विश्लेषणों में लाभ में / नकद में 376.65 प्रतिशत तक और 636.33 प्रतिशत तक वृद्धि दर्शाई गई थी जो उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, उधारकर्ता के आगामी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रक्षेपित नकदी प्रवाह और ₹ 291.22 करोड़ मूल्य की आने वाली परियोजनाओं के लिए शेष लागत के वित्तपोषण को भी पर्याप्त रूप से विश्लेषित नहीं किया गया क्योंकि सभी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं।

चूक होने के समय (दिसम्बर 2011) पर शेयरों के बेचने के बजाय जब ट्रेडिंग वोल्यूम लगभग 6.58 लाख शेयर प्रति दिन था और प्रतिभूति कवर 2.19 गुणा था (जनवरी 2012) तब आईएफसीआई ने वसूली की कार्रवाई विलिम्बत की। उस समय एमवीएल भुगतान और

<sup>82</sup> 11 जून 2010 में ₹ 152.49 करोड़ मूल्य के 2.25 करोड़ शेयर

<sup>83</sup> जनवरी 2012 में 1.48 लाख, मई 2012 में 0.68 लाख जून 2012 में 1.45 लाख

अतिरिक्त शेयरों/सम्पत्ति गिरवी रख कर प्रतिभूति में वृद्धि करने में विफल रहा। इसके अलावा, पुनर्गठन के समय (अगस्त 2013), आईएफसीआई अपने हित की रक्षा करने में विफल रहा और उसने उन फ्लैटो की अतिरिक्त प्रतिभूति स्वीकार की जो अधिकांशतः अर्ध-निर्मित अवस्था में थे। आईएफसीआई की उपरोक्त ऋण को बेचने/देने की कोशिशें (अक्टूबर 2015/अप्रैल 2016/जुलाई 2016) बोलीदाताओं की कमी के कारण विफल हो गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/नवम्बर 2016) कि सभी प्रक्षेपण उधारकर्ताओं के इनपुट पर आधारित थे और उक्त ऋण शेयरों के प्रति ऋण के अन्तर्गत उस समय प्रचलित नीति के अनुसार दिया गया था। उधारकर्ता द्वारा प्रस्तावित उच्च राशि की वसूली के लिए पुनर्गठन प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मूर्त प्रतिभूति शेयरों के परिसमापन में मुश्किल पर सीआरएमडी की आपत्ति के प्रकाश में काफी महत्वपूर्ण है। पुनर्गठन प्रस्ताव की व्यवहार्यता उधारकर्ता के निष्पादन के आधार पर नहीं आँकी गई थी और शेयरों की प्रतिभूति को तभी इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए था जब उधारकर्ता दिसम्बर 2011 में देयों के भुगतान में विफल हो गया था।

#### **ग. एआरएसएस डेवलपर्स लिमिटेड**

कम्पनी ने एआरएसएस डेवलपर्स लिमिटेड (एडीएल) को ₹ 100 करोड़ (सीएल-I) (10 मार्च 2011) और ₹ 60 करोड़ (सीएल-II) (20 जनवरी 2012) के दो ऋण संस्वीकृत किए। दोनों ऋणों के प्रति संवितरण क्रमशः ₹ 82 करोड़ (मार्च/अप्रैल 2011) और ₹ 44.39 करोड़ (6 मार्च 2012) किए गए थे जबकि शेष रद्द कर दिया गया था (जून 2012)। सीएल-I की सुरक्षा एआरएसएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एआईपीएल) (एडीएल की धारक कम्पनी और एआरएसएस ग्रुप की प्रमुख कम्पनी) के 3 गुणा प्रतिभूति कवर के 47.6 लाख गिरवी शेयरों के माध्यम से जबकि सीएल-II की सुरक्षा पश्चिम विहार (नई दिल्ली) स्थित एक मॉल, प्राप्तियों पर विशिष्ट अधिकार और प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी (दोनों ऋण) द्वारा की गई थी।

सीएल-I का प्रतिभूति कवर संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित तीन गुणा से कम था (मई/जून 2011), जो उधारकर्ता बहाल नहीं कर सका। दोनों ऋणों पर बाद में ब्याज की चूकों (मई 2012) के कारण, आईएफसीआई ने जून 2012 में 43.15 लाख गिरवी शेयर बेच दिए थे। चूकों के दृष्टिगत, दोनों ऋण वापिस लिए गए प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी भुना

ली गई और सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई थी (जून 2012)। उधारकर्ता ने कटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरफेसी कार्रवाई को चुनौती दी, जिसने दोनों पक्षों को मामले को सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझाने के निर्देश दिए। इसके कारण आईएफसीआई ने सीएल-II को पुनर्निर्धारित किया (अक्टूबर 2012) और अन्य कानूनी कार्यवाहियां भी वापिस ली, किन्तु उधारकर्ता ने पुनर्निर्धारित ऋण पर भी चूक करना जारी रखा। 31 दिसम्बर 2012 को ऋण खातों को एनपीए वर्गीकृत किया गया। कम्पनी ने दोबारा दोनों ऋणों का पुनर्निर्धारण किया (फरवरी 2013) किन्तु उसे उधारकर्ता द्वारा शर्तों और नियमों के अननुपालन के कारण वापिस लेना पडा था (अगस्त 2013)। आईएफसीआई के निदेशक मण्डल ने उधारकर्ता के साथ बकाया देयों के निपटान के समझौते की स्वीकृति की (नवम्बर 2013) जिसमें आईएफसीआई ने अन्य खण्डों<sup>84</sup> को छोड़कर 30 सितम्बर 2013 तक कुल बकाया ब्याज (₹ 21.66 करोड़) में से ₹ 19.49 करोड़ (90 प्रतिशत) की छूट दी थी। तथापि, उधारकर्ता द्वारा आगे और चूकें करने के कारण बातचीत रद्द करनी पड़ी (27 अगस्त 2014) किन्तु दोबारा उसे बहाल किया गया (दिसम्बर 2014) और अन्ततः वापिस लिया गया (18 मई 2015) कम्पनी ने उधारकर्ता और उसके प्रमोटर्स को अप्रैल 2016 में इरादतन चूककर्ता घोषित कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया, कि सामान्य ऋण नीति, जिसमें उस कम्पनी जिसके शेयर गिरवी रखे जाते थे की क्रेडिट रेटिंग 'ए' निर्धारित की थी के प्रति कम्पनी ने 'बीबी' क्रेडिट रेटिंग (एआईपीएल) पर पहला ऋण संस्वीकृत किया जिसे वास्तव में जून 2011 में अर्थात् संस्वीकृति के तीन महीने के अन्दर 'डी' (चूककर्ता श्रेणी) में पदावनत कर दिया गया था, और अन्ततः अप्रैल 2012 में निलंबित कर दिया गया था। चार वर्षों की लम्बी अवधि के लिए केवल शेयरों के प्रति पहला ऋण संस्वीकृत करना जैसा कि सीआरएमडी द्वारा भी बताया गया था, तथा ग्रुप कम्पनी (एआईपीएल) की बैंकों से पूर्व चूकों और एआईपीएल के शेयर मूल्य के उतार चढाव<sup>85</sup> जैसे महत्वपूर्ण घटकों, पर यथोचित ध्यान नहीं किया गया। संस्वीकृति की शर्तों में स्पष्ट रूप से अनुबधित होने के बावजूद की यदि 25 प्रतिशत तक कीमतों में गिरावट होने पर उधारकर्ता शेयरों को बहाल करने या अपेक्षित रोकड मार्जिन प्रदान करने में विफल रहता है तो शेयरों की बिक्री का प्रावधान था गिरवी रखे

<sup>84</sup> 30.9.13-तक दोनों ऋणों के प्रति मूल ₹ 103.04 करोड़ और ब्याज के ₹ 21.66 करोड़ में से ₹ 25.30 करोड़ का अग्रिम भुगतान, ₹ 77.74 करोड़ की शेष राशि का भुगतान दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2016, तक किया जाना था और ₹ 2.17 करोड़ ब्याज को फंडिड ब्याज मियादी ऋण में परिवर्तित किया गया था।

<sup>85</sup> ₹ 1376 का उच्चतम (27 अप्रैल 2010) और ₹ 580 प्रति शेयर का निम्नतम (9 मार्च 2011)

शेयरों की बिक्री में विलम्ब किया गया। अक्टूबर 2011 में शेयर कीमतें 25 प्रतिशत से अधिक तक गिर गई थी। आईएफसीआई, ने शेयरों को बेचने के बजाय अतिरिक्त सम्पत्ति (कृषि भूमि सहित) की गिरवी को स्वीकार किया, जो वास्तविक प्रतिभूति कवर को बहाल नहीं कर सका था। गिरवी रखे 43.15 लाख शेयरों की बाद में बिक्री (जून 2012) प्रति शेयर ₹ 46.34 की औसत कीमत पर की गई थी जिससे केवल ₹20 करोड़ (लगभग) की वसूली की गई थी जबकि अक्टूबर 2011 में औसत कीमत ₹333.48 प्रति शेयर थी। कम्पनी ने उधारकर्ता द्वारा सहायक प्रतिभूति के रूप में दिए गए ₹9.24 लाख लॉकड-इन इक्विटी शेयरों (अप्रैल 2013 तक) को वापिस कर दिया (28 अक्टूबर 2011) जिन्हें बाद में बकाया देयों की वसूली के लिए बेचा जा सकता था।

मॉल को गिरवी रखते समय समुचित सावधानी की कमी थी और आईएससीआई को यह पता नहीं था कि सीएल-II की संस्वीकृति से पूर्व कर्जदार पहले ही कुछ दुकानें बेच चुका था। अतः क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान माल सम्पत्ति के मूल्यांकन में पहले से बिकी हुई दुकानों को भी शामिल किया गया था। सीएल-II का लाभ लेने के बाद भी आईएफसीआई के संज्ञान के बिना मॉल में कुछ और सम्पत्तियों को बेचा गया था। सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने के बावजूद (14 जून 2012) आईएफसीआई भौतिक कब्जा लेने और बकाया देयों की वसूली करने के लिए उसे एक बार भी बिक्री पर लगाने में असमर्थ रहा। आईएफसीआई लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ और एमडी के विरुद्ध शिकायत के मामले पर आईएफसीआई के सर्तकता विभाग की आन्तरिक जांच रिपोर्ट (3 जून 2015) में भी समान मामले कवर किए गए थे और निष्कर्ष में यह कहा गया “कि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त खाते के साथ व्यवहार करते समय चूकें/ अनियमितताएं/ लापरवाहियां की गई हैं”। यह जांच रिपोर्ट निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी (2 जुलाई 2015) जिसने इस ऋण खाते के संबंध में तत्कालीन सीईओ एवं एमडी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के प्रति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी सैल को एफआईआर दर्ज करने की सहमति प्रदान की थी।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में कहा कि सीबीआई को सूचना दी गई थी (जुलाई 2015) कि जांच की समाप्ति पर, जांचकर्ता ने निष्कर्ष निकाला था कि एडीएल को संस्वीकृत ऋण में उधारकर्ता को लाभ देने के लिए आईएफसीआई के नियमों और नीतियों के उल्लंघन का पता चलता है।

प्रबंधन का जवाब लेखापरीक्षा के इस कथन की पुष्टि करता है की इस संबंध में समुचित सावधानी का अभाव था तथा सामान्य ऋण नीति का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, दोनों ऋणों पर 31 मार्च 2016 तक ₹ 160.50 करोड़ के कुल बकाया (₹ 57.39 करोड़ के ब्याज सहित) की वसूली संदिग्ध थी।

#### घ. **बिनानी सीमेंट लिमिटेड**

कम्पनी ने बिनानी सीमेंट लिमिटेड (बीसीएल) को बीसीएल की स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से राशि के दो गुणा की प्रतिभूति, बीसीएल के शेयरों की गिरवी और बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल), एक ग्रुप धारक कम्पनी की कारपोरेट गारंटी पर ₹ 380 करोड़ के एक दीर्घावधि ऋण की संस्वीकृति और संवितरण किया (सितम्बर/नवम्बर 2013)। बीसीएल ने फरवरी 2014 में अपने भुगतानों में चूक की और अपने देयों के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया (अप्रैल 2014)। आईएफसीआई ने ₹ 485.01 करोड़ अर्थात् ₹ 380 करोड़ के वर्तमान ऋण, ₹ 8.79 करोड़ का न चुकाया गया गया व्याज ₹ 36.79 करोड़ के वित्तपोषित ब्याज और ₹59.43 करोड़ का अतिरिक्त एक्सपोजर का पुनर्निर्धारण पैकेज अनुमोदित किया (9 दिसम्बर 2014)। तथापि, बीसीएल ने पुनर्निर्धारण के बावजूद पुनर्भुगतान में चूक की और पुनर्निर्धारण के लिए अनुबद्ध प्रतिभूति पूर्ण करने में भी विफल रहा। तदनुसार कम्पनी ने ₹496.10 करोड़ के उसके ऋणों को एडेलवेस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 74.41 करोड़ नकद प्राप्ति के रूप में और ₹ 421.69 करोड़ प्रतिभूति जमा के रूप में बेच दिए (फरवरी 2016)।

लोखपरीक्षा ने पाया कि बीसीएल ने मौजूदा सामान्य ऋण नीति के कुछ योग्यता मानदण्डों को पूरा नहीं किया था जैसे कि 1.5 के निर्धारित अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात के प्रति उसका अनुपात 1.92, निर्धारित न्यूनतम 1.33 चालू अनुपात के प्रति उसका अनुपात 0.62 और निर्धारित न्यूनतम 1.5 स्थायी परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात के प्रति उसका अनुपात 1.37 था। कम्पनी सीआरएमडी के इस कथन पर कार्यवाही करने में भी विफल रही जिसके अनुसार सेवा कवरेज अनुपात की दोबारा जाँच की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी नकद प्रवाह की पर्याप्तता उसकी भविष्य की देयताओं की तुलना में कम रोकड संग्रहण<sup>86</sup> उसके समय पर ऋण वापसी को प्रभावित कर सकता था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 के दौरान बीसीएल का समेकित ऋण इक्विटी अनुपात 18.02 था, समेकित हानि ₹ 208

<sup>86</sup> 2020-21 तक ₹ 4,054 करोड़ की ऋण सेवा देयता, 2013-14, में ₹ 625 करोड़ और 2014-15 में ₹ 550 करोड़ 2010-11 में ₹ 152 करोड़ सकल नकद प्राप्तियां और 2011-12 में ₹ 225 करोड़

करोड़ थी तथा इसकी निवल संपत्ति का 48 प्रतिशत तक क्षरण हो चुका था। अन्य ऋणदाताओं की तरह कंपनी को भी अनैच्छिक रूप से अदत्त ब्याज को मियादी ऋण में रूपांतरित करना पडा क्योंकि अभी प्राथमिक प्रतिभूति बनाई जानी थी और आईएससीआई के पक्ष में समरूप प्रभार को सौपने के लिए अन्य ऋणदाताओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित थे।

कम्पनी ने यह स्वीकार करते समय कि उसके पास ऋणदाताओं के संघ के साथ मिलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, यह भी कहा (अगस्त, नवम्बर 2016) कि विचलनों को संस्वीकृति दी गयी थी। क्योंकि बीसीएल एक प्रतिष्ठित ब्रांड था और स्थिति में सुधार प्रत्याशित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीसीएल की भारी ऋण सेवा देयताएं बकाया थी और पूर्व वर्षों में सकल रोकड उपार्जन अत्यल्प होने के कारण नकदी की बाधाएं थी और उसने संवितरण की तिथि से तीन महीनों के अन्दर पुनर्भुगतान करने में चूक की थी (फरवरी 2014)।

#### **ड. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

कम्पनी ने आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एआईएल) को ₹ 300 करोड़ का एक ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2013), जिसे सभी स्थायी परिसम्पत्तियों (प्राथमिक प्रतिभूति) पर पहले समरूप प्रभार और सिलवासा में 30 एकड भूमि पर विशिष्ट प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाना था जिसके लिए संवितरण की तिथि से क्रमशः छः महीने की अवधि (31 मार्च 2014 तक) और 30 दिन (30 अक्टूबर 2013 तक) प्रतिभूति के सृजन हेतु दिए गए थे। सम्पूर्ण ऋण राशि का संवितरण (30 सितम्बर 2013) उधारकर्ता की चल परिसम्पत्तियों पर सहायक प्रभार की अन्तरिम सुरक्षा के प्रति दिया गया था। निर्धारित समय सीमा के अन्दर संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार अपेक्षित प्राथमिक प्रतिभूति का सृजन नहीं किया जा सका और उसके लिए उधारकर्ता को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया (30 सितंबर 2014 तक)। उधारकर्ता द्वारा चूकों के कारण, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन किया गया (अप्रैल 2014) और एक सुधारात्मक कार्य योजना बनाई गई जिसके अनुसरण में आईएफसीआई ने उधारकर्ता को ₹ 75 करोड़ का एक अतिरिक्त कारपोरेट ऋण संवितरित किया (31 मार्च 2015)। एसबीआई (प्रमुख ऋणदाता बैंक) ने 31 मार्च 2015 को उधारकर्ता के खाते को एनपीए वगीकृत कर दिया। उधारकर्ता ब्याज के भुगतान (जून 2015) न होने के कारण और ₹ 25 करोड़ प्रत्येक की तीन तिमाही मूल किश्तों (सितम्बर, दिसम्बर 2015 और



मार्च 2016) के पुनर्भुगतान न होने के कारण चूककर्ता था। खाते को एनपीए के रूप में वगीकृत कर दिया गया था और कुल बकाया देय ₹337.44 करोड़ (मार्च 2016) थे (₹37.44 करोड़ के वसूले न गए ब्याज सहित)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने उधारकर्ता के खराब वित्तीय मानदण्डों पर कोई ध्यान नहीं दिया जैसा 3 से अधिक के उच्च ऋण इक्विटी अनुपात<sup>87</sup> के और निम्न डीएससीआर<sup>88</sup> से देखा जा सकता है, जिससे एक कठिन वित्तीय स्थिति और खराब ऋण चुकाने की क्षमता का पता चलता है। उधारकर्ता सामान्य ऋण नीति में निर्धारित अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात और न्यूनतम एफएसीआर और चालू अनुपात<sup>89</sup> से संबंधित निर्धारित योग्यता मानदण्डों को पूरा नहीं करता था। आईएफसीआई ने इस तथ्य की अनदेखी की कि विभिन्न मानकों<sup>90</sup> पर उधारकर्ता का वास्तविक वित्तीय निष्पादन, आईएफसीआई द्वारा कम्पनी को ₹ 110 करोड़ के प्रतिदेय की एनसीडी (फरवरी 2011) की पिछली सुविधा की संस्वीकृति के दौरान अपेक्षित प्रक्षेपणों से काफी कम थे। कम्पनी ने यह जानने के बावजूद कि अपने पक्ष में समरूप प्रभार के सृजन के लिए बड़ी संख्या में अन्य ऋणदाताओं (32) की एनओसी की आवश्यकता होगी, जो समय खपाने वाला और उधारकर्ता की खराब वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत प्राप्त करना मुश्किल, था विशिष्ट प्रभार सहित पर्याप्त प्रतिभूतियों पर जोर नहीं दिया। संस्वीकृति के तीन वर्षों के बाद भी तीन ऋणदाताओं से समरूप प्रभार की भागीदारी के लिए एनओसी प्रतिक्षित थी (अप्रैल 2016)।

प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उधारकर्ता की कारपोरेट गारंटी एचएसबीसी<sup>91</sup> लिमिटेड द्वारा भुनाई गई थी और बाम्बे उच्च न्यायालय में उधारकर्ता के विरुद्ध वाइंडिंग अप याचिका दर्ज की गई थी। यद्यपि ऋणदाताओं द्वारा एसडीआर का आह्वान किया गया था (नवम्बर 2015), किन्तु वह निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्राप्त नहीं किया जा सका था।

उपरोक्त के दृष्टिगत ₹ 337.44 करोड़ की राशि के ऋण के ऊपर उल्लिखित बकाया देयों के संबंध में वसूली संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को दी गई विभिन्न क्रेडिट

<sup>87</sup> 2010-11 से 2012-13

<sup>88</sup> 2011-12 और 2012-13 में 1.08 और 1.16

<sup>89</sup> सामान्य ऋण नीति में निर्धारित डीईआर, एफएसीआर और सीआर 1.5, 1.5, 1.33 थी उधारकर्ता के वास्तविक अनुपात 3.3, 0.98 और 1.12 थे।

<sup>90</sup> वर्षान्त 31 मार्च 2013 के लिए प्रेक्षित बनाम वास्तविक-डीईआर (1.6 व 3.3), एफएसीआर (2.84 ब.0.98), डीएससीआर (1.25 ब 1.17) और चालू अनुपात (2.57 ब 1.12)।

<sup>91</sup> उधारकर्ता की सहायक कंपनी को दिये गए ऋण के मामले में (आलोक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड )

सुविधाओं<sup>92</sup> के लिए आईएफसीआई की कुल बकाया देय राशि ₹ 514.87 करोड़ (वसूले न गए ₹ 66.87 करोड़ के ब्याज सहित) थी।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि एआईएल के ऋणों में वृद्धि हुई क्योंकि पूंजीगत व्यय अधिकतर ऋणों द्वारा वित्तपोषित था और वित्त लागतों में वृद्धि हो रही थी। तथापि, इसके भविष्य की योजना पर विचार करते हुए, लाभ में सुधार अनुमानित था। 31 मार्च 2013 तक प्रथम समरूप प्रभार के लिए एफएसीआर 1.58 गुणा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी को उधारकर्ता के उच्च डीईआर और निम्न डीएससीआर और डीईआर, एफएसीआर और चालू अनुपात से संबंधित जीएलपी के निर्धारित योग्यता मानदण्ड को पूरा न करने के दृष्टिगत सावधानी बरतनी चाहिए थी। ₹ 300 करोड़ के ऋण की संस्वीकृति से पूर्व एनसीडी लेने के दौरान प्रक्षेपित तथ्यों की उपयुक्त मानदंडों पर वास्तवित निष्पादन से तुलना की जानी चाहिए थी।

#### च. सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी ने सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जुलाई 2010, जनवरी 2011 और नवम्बर 2011 में क्रमशः ₹ 100 करोड़ (सीएल-I), ₹ 60 करोड़ (सीएल-II) और ₹ 25 करोड़ (सीएल-III) की संस्वीकृति दी। ऋणों का संवितरण उधारकर्ता के 71.50 लाख सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और सुराना पावर लिमिटेड (एसपीएल) के छः करोड़ असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के प्रति किया गया था।

उधारकर्ता ने नकदी की समस्याओं के कारण पहली किश्त से ही पुनर्भुगतान में चूक करनी प्रारंभ कर दी (अक्टूबर 2011) और आईएफसीआई को पुनर्गठन का अनुरोध किया। तदनुसार, आईएफसीआई ने छः महीने की छूट प्रदान की (मई 2012) किन्तु उधारकर्ता फिर पुनर्भुगतान में विफल रहा (अगस्त 2012) और कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) किया गया। आईएफसीआई 1 जून 2013 की कट आफ डेट (सीओडी) के साथ सीडीआर पैकेज (फरवरी 2014) की शर्तों से सहमत हो गया। चूंकि उधारकर्ता सीडीआर की शर्तों का सम्मान करने में विफल रहा इसलिए आईएफसीआई ने सीडीआर से वापसी (जनवरी/जुलाई 2015) का निर्णय लिया। कुल मूल बकाया ₹ 157.28 करोड़ और वसूला न गया ब्याज ₹ 154.38 करोड़ था (मार्च 2016)।

<sup>92</sup> रुपये मियादी ऋण, कारपोरेट ऋण और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋणों की संस्वीकृति ब्याज के बोझ<sup>93</sup> में वृद्धि और लाभ<sup>94</sup> में गिरावट के बावजूद किसी मूर्त प्रतिभूति की प्राप्ति के बिना की गई थी। इसके अलावा, सामान्य ऋण नीति में निर्धारित अधिकतम 45 दिनों (सीएल-II) के प्रति प्रतिभूति की वसूली के लिए अपेक्षित समय 5.83 माह था। इसके अतिरिक्त, उसने ₹ 41 करोड़ (2010) का संचालन घाटा दर्शाया था और सामान्य ऋण नीति में निर्धारित 1.5 न्यूनतम औसत के प्रति डीएसीआर 1.41 था।

सीएल-III की संस्वीकृति नकद प्रवाह की विसंगति को पूरा करने के लिए, सीएल-I के लिए ₹ 12.50 करोड़ की पहली किश्त के भुगतान न होने और बढ़ते ब्याज बोझ के बावजूद की गई थी। इसके अलावा, उसने कुछ पात्रता मानदण्डों<sup>95</sup> को पूरा नहीं किया। अतः कम्पनी, नकद की कमी से संबंधित सीआरएमडी द्वारा व्यक्त सावधानी के बावजूद उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण करने में विफल रही। इसके अलावा, प्रमुख ऋणदाता होने के बावजूद, आईएफसीआई अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने में असफल रहा क्योंकि उसके अपने महत्वपूर्ण देयों (कट ऑफ डेट से पूर्व बकाया ब्याज) का भुगतान नहीं हुआ था जबकि अन्य ऋणदाताओं के संबंध में वह चुका दिये गए थे। निरन्तर चूकों और प्रतिबद्धताओं को पूर्ण न करने के बावजूद अन्य वसूली उपायों जैसे ऋण वापिस लेने, गिरवी शेरों की बिक्री इत्यादि पर निर्णय काफी देरी से लिए गए थे (फरवरी 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उसने सीडीआर में इसलिए भाग लिया था ताकि प्रतिभूति कवर को मजबूत किया जा सके और ब्याज चूक की वसूली की जा सके।

तथापि, तथ्य यह है कि प्रमुख ऋणदाता के रूप में सीडीआर में शामिल होने के बाद भी आईएफसीआई महत्वपूर्ण देयों की वसूली नहीं कर सका जिन्हें अन्य ऋणदाताओं ने वसूल कर लिया था।

#### **छ. लवासा कारपोरेशन लिमिटेड**

कम्पनी ने लवासा, पुणे में एक टाउनशिप परियोजना के विकास के लिए लवासा कारपोरेशन लिमिटेड (एलसीएल) को ₹100 करोड़ का एक अल्पावधि ऋण संस्वीकृत/संवितरित किया

<sup>93</sup> 2009 में ₹ 35 करोड़ से 2010 में ₹ 58 करोड़

<sup>94</sup> 2009 में 11 प्रतिशत से 2010 में 4 प्रतिशत

<sup>95</sup> क्रेडिट रेटिंग ('ए' की निर्धारित रेटिंग के प्रति बीबीबी), चालू अनुपात (निर्धारित 1.33 के प्रति 0.91), और ऋण की वसूली के लिए ट्रेडिंग दिन (निर्धारित 45 दिनों के प्रति 117)

(मई 2011)। यह मुख्य रूप से हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एचसीसी)<sup>96</sup> की कारपोरेट गारंटी द्वारा सुरक्षित था। ऋण का 26 मई 2012 को एक ही किश्त में पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान किया जाना था किन्तु उधारकर्ता के अनुरोध पर इसे दीर्घावधि ऋण के रूप में (अप्रैल 2014 से जनवरी 2018 तक पुनर्भुगतान) पुनर्गठित किया गया (अप्रैल 2012)। निरन्तर चूकों के कारण, कर्जदार को जेएलएफ संदर्भित किया गया, जिसने एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना बनाई थी जिसके अनुसरण में आईएफसीआई ने लवासा स्थल पर ₹46 करोड़ मूल्य की भूमि की गिरवी, एचसीसी रियल एस्टेट लिमिटेड (एचआरईएल)<sup>97</sup> की कारपोरेट गारंटी और संघ द्वारा प्रतिभूति के रूप में धारित भूमि पर द्वितीय समरूप प्रभार के प्रति ₹30 करोड़<sup>98</sup> का अतिरिक्त ऋण संस्वीकृत किया। 31 मार्च 2015 से खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। आईएफसीआई ने कर्जदार (जुलाई 2015) और कारपोरेट गारंटर्स (अगस्त 2015) को समाप्ति नोटिस जारी किया और एचसीसी और एचआरईएल की कारपोरेट गारंटी का प्रयोग किया (जुलाई 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई को इस तथ्य के बारे में पूरी जानकारी थी कि भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), ने उधारकर्ता को लवासा पर निर्माण और विकास कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे (नवंबर 2010), इसके बावजूद ऋण संस्वीकृति/संवितरित किया गया। इसके अलावा, एमओईएफ ने यह भी पाया (जनवरी 2011) कि उधारकर्ता ने पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया था और उस पर किया गया निर्माण कार्य अनधिकृत था और ईआरईए अधिसूचना के उल्लंघन में था और पर्यावरण के लिए हानिकारक था। अतः ऋण की संस्वीकृति की तिथि पर उधारकर्ता के पास टाउनशिप परियोजना के लिए एमओईएफ, जीओआई से अन्तिम पर्यावरण मंजूरी नहीं थी। ऋण की संस्वीकृति और संवितरण बिना किसी मूर्त प्रतिभूति की प्राप्ति के जिसे उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में आसानी से लागू किया जा सकता था, केवल उधारकर्ता की समूह कम्पनी (एचसीसी लिमिटेड) की कारपोरेट गारंटी के आधार पर दिया गया था। ऋण को अल्पावधि से दीर्घावधि (21 अप्रैल 2012) में पुनर्गठित करते समय भी कोई मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी। अतिरिक्त ऋण के मामले में प्रतिभूति (संघ भूमि पर दूसरा समरूप प्रभार), जो कि संवितरण (अप्रैल 2015) से छः महीने में बनाया जानी थी, किन्तु नहीं बनायी गयी थी ।

<sup>96</sup> फ्लैगशिप प्रमोटर ग्रुप कम्पनी।

<sup>97</sup> एलसीएल की धारक कम्पनी

<sup>98</sup> अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 तक 4 भागों में ₹20.45 करोड़ संवितरित किया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि एलसीएल को दी गई मौजूदा सुविधा (2011) मई 2009 में दी गई सुविधा के समान थी, जिसका पूरा पुनर्भुगतान मई 2010 में किया गया था। उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग 'केअर-बीबीबी -' थी और गारंटीकर्ता की 'केयर एए -' थी जो पर्यावरणीय मंजूरी सहित विनियामक अनुमोदनों की स्थिति के कारण दी गई थी। प्रबंधन ने आगे कहा (नवम्बर 2016) कि आईएफसीआई को एचसीसी की कारपोरेट गारंटी से बकाया की वसूली की उम्मीद हैं।

यद्यपि, पिछले ऋण की संतोषजनक वापसी भविष्य के ऋणों कि वापसी के लिए एक तर्कसंगत गारंटी नहीं थी। संस्वीकृति के समय, कर्जदार के पास परियोजना के लिए अपेक्षित विनियामक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी। प्रथम अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया जिसका पुनर्भुगतान भी योजना के अनुसार नहीं किया जा सका। आईएफसीआई के पास अपने देयों की वसूली के लिए अपर्याप्त प्रतिभूति थी।

31 मार्च 2016 को कुल बकाया देय ₹130.55 करोड़ थे (मूल ₹110.21 करोड़ और वसूला न गया ब्याज ₹20.34 करोड़) जिनकी वसूली संदिग्ध थी ।

#### **ज. विज़डम ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड**

आईएफसीआई ने विज़डम ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड (डब्ल्यूजीईएल) को कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलोजिज़ लिमिटेड (सीपीटीएल) (बाद में नाम बदलकर कोर एजुकेशन एंड टेक्नोलोजिज़ लि. सीईटीएल) एक गुप कम्पनी के शेयरों के 1.50 गुणा और प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी के अलावा 0.75 गुणा गैर निपयन वचनपत्र/पावर आफ एटार्नी की प्रतिभूति पर ₹100 करोड़ का एक कारपोरेट ऋण संस्वीकृत किया (सितम्बर 2010)। तथापि, डब्ल्यूजीईएल ने ब्याज/ऋण देने में चूक की (जनवरी 2013), आईएफसीआई ने सीईटीएल के शेयर बेच दिए (फरवरी से जून 2013 और जनवरी से सितम्बर 2014) और ₹47.90 करोड़<sup>99</sup> की वसूली की। हैदराबाद में 144 एकड़ कृषि भूमि की अतिरिक्त प्रतिभूति आईएफसीआई और दो अन्य ऋणदाताओं<sup>100</sup> के पक्ष में बनाई गई थी (मई 2013)। सीईटीएल को सीडीआर को भी संदर्भित किया गया था (अक्टूबर 2013)। गिरवी सम्पत्ति के अधिकार पर लम्बित मुकदमेबाजी के कारण मूर्त प्रतिभूति को प्राप्त नहीं किया जा सका। अंततः आईएफसीआई ने डब्ल्यूजीईएल को दिए ऋण को वापिस मांगा (15 मई 2014) और एसआईसीओएम इंडिया लिमिटेड (संयुक्त ऋणदाता) को आईएफसीआई की ओर से हैदराबाद में गिरवी भूमि

<sup>99</sup> ₹44.39 करोड़ + ₹2.88 करोड़ + ₹0.63 करोड़

<sup>100</sup> एसआईसीओएम इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई फैंक्टर्स लिमिटेड

को अधिग्रहित और बेचकर देयों की वसूली के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था। आईएफसीआई द्वारा डीआरटी में एक मामला दर्ज किया गया (20 फरवरी 2015) जो अभी भी लम्बित है। इसे 30 जून 2014 को एनपीए घोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने इस तथ्य के बावजूद केवल शेयरों को प्रमुख प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखकर ऋण की संस्वीकृति की, कि सीईटीएल के शेयरों के मूल्य, उसी कर्जदार को दिए गए पूर्व ऋणों (2008 और 2010 में)<sup>101</sup> के संबंध में अस्थिर थे, और उन्हें पुनर्गठित भी किया गया था। आईएफसीआई ने हैदराबाद में कृषि भूमि की अतिरिक्त प्रतिभूति भी स्वीकार की जिसके विरुद्ध सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इसे भी बिना किसी सत्वाधिकार का पता लगाए और भौतिक निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया था। तदन्तर, फरवरी 2015 में स्थल दौरे के दौरान यह पाया गया कि आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर भूमि उधारकर्ता के भौतिक कब्जे में नहीं थी और उस पर तीसरी पार्टी का कब्जा था। अतः कम्पनी द्वारा जमीन पर उधारकर्ता का भौतिक कब्जा नहीं होने पर भी उसे गिरवी रखने में समुचित सावधानी की कमी थी। उधारकर्ता की गिरवी सम्पत्ति (हैदराबाद) पर एक निजी बैंक के पक्ष में सहायक प्रभार का सृजन आईएफसीआई की अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि सूचीबद्ध उद्यमों के शेयरों के प्रति ऋण नीति उस समय प्रचलित कारोबारी पर्यावरण के दृष्टिगत बनाई गई थी। उस कम्पनी को पर्याप्त क्रेडिट गुणावत्ता रेटिंग प्रदान की गई थी जिसके शेयर गिरवी रखे गये थे। कृषि भूमि की प्रतिभूति को दो अन्य ऋणदाताओं के साथ संयुक्त अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि प्रतिभूति कवर कम होता जा रहा था। कम्पनी ने स्वीकार किया कि स्वामित्व विलेख जांच नहीं किए जा सके क्योंकि उधारकर्ता ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यवसायिक विवेक की मांग मूर्त प्रतिभूति थी क्योंकि शेयरों की अस्थिरता पहले से ही एक ज्ञात कारक था। उक्त रेटिंग सितम्बर 2009 की थी जबकि ऋण की संस्वीकृति सितम्बर 2010 में हुई थी। चूंकि सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती इसलिए अतिरिक्त प्रतिभूति ने मौजूदा प्रतिभूति कवर में कोई सुधार नहीं किया। बिना प्रतिभूति दस्तावेजों की प्राप्ति के प्रतिभूति की स्वीकृति यह साबित करती है कि प्रतिभूति मॉनिटरिंग नीति कमजोर थी। इसके परिणामस्वरूप ₹52.36 करोड़ (31 मार्च 2016 तक मूल ₹38.02 करोड़ और ब्याज ₹14.34 करोड़) की वसूली नहीं हुई थी।

<sup>101</sup> जुलाई 2008 से अक्टूबर 2008 के बीच ₹ 250 से ₹ 240 प्रति शेयर और अगस्त 2010 में ₹ 262